


मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक: 07 / 06 / 2019

क्रमांक एफ क-4/2/19/1-59 इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-156/2011/1-59 दिनांक 19.08.2011 के अनुक्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1/2015/नियम/चार दिनांक 22.08.2015 द्वारा म0प्र0 सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम 38(ख) के पश्चात 38 (ग) संतान पालन अवकाश नियम प्रतिस्थापित किये गये हैं।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन महिला शासकीय सेवकों को उक्त अधिसूचना में किये गये उल्लेख अनुसार सीमा के अंतर्गत संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने के प्रशासकीय अधिकार यथा उल्लेखित संचालनालय आयुष भोपाल के स्तर पर तत्काल प्रभाव से प्रत्यायोजित किये जाते हैं।


म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(माधवी नारगन्द्र)
उप सचिव

शासन आयुष विभाग
भोपाल दिनांक 07 / 06 / 2019

पृ. क्रमांक एफ 4-2/19//1/59
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव माननीय मंत्री आयुष विभाग।
 - 2- निज सहायक अपर मुख्य सचिव आयुष विभाग।
 - 3- आयुक्त आयुष म0प्र0 भोपाल।
 - 4- संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारणी समिति शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी महाविद्यालय।
 - 5- प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी महाविद्यालय।
 - 6- महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर।
 - 7- प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी महाविद्यालय।
 - 8- समस्त संभागीय अधिकारी आयुर्वेद म0प्र0।
 - 9- समस्त अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी म0प्र0।
 - 10- अधीक्षक आयुर्वेद/यूनानी फार्मसी।
 - 11- स्टॉक फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपसचिव 6-6-19

म0प्र0 शासन आयुष विभाग